



CIRCULAR

Circular no.: PFRDA/2022/20/SUP-TB/1 11th Aug, 2022

To, All the NPS stakeholders

Subject: Voluntary Contributions under D Remit enabled through UPI

In continuation of our Circular no. PFRDA/2020/44/SUP-CRA/17 dt 01.10.2020 and Circular no. PFRDA/2021/6/SUP-CRA/5 dt 10.03.2021 vide which the features of '*D-Remit*' and '*Enablement of IMPS mode of contribution under D-Remit*', PFRDA is pleased to launch of UPI handle for depositing contributions through D-Remit for the benefit of Subscribers.

- 2. <u>PFRDA.15digitVirtualAccount@axisbank</u>: At present, the Subscribers deposit their voluntary contributions under D-Remit into Tier I/II from the net banking account of the Subscribers Bank Account by using IMPS/NEFT/RTGS. Now, the contributions through UPI is enabled to further ease the process of depositing contributions. The UPI handle for the D Remit is <u>PFRDA.15digitVirtualAccount@axisbank</u>. It is important to note that D Remit virtual Account is different from the associated Permanent Account Number (PRAN) and it starts from either 6001 or 6002. D remit Virtual Account no is also different for Tier I & II.
- 3. <u>Same Day Investment:</u> Under D-Remit, the contributions received by the Trustee Bank (TB) before 09:30 AM shall be considered for investment on the same day. The contributions received after 09:30 AM shall be considered for investment on the next investment day as per the guidelines.
- 4. Return of UPI contributions into Source Bank Acct no. of the Subscriber as per NPCI norms:
 - A. Since the minimum value of contribution under D-Remit is equal to or above Rs.500/, those UPI based contributions which are below Rs 500/- shall be returned by TB.
 - B. Those contributions received for PRANs which are frozen/inactive would be returned by TB post receipt of confirmation from the respective Central Record Keeping Agency (CRA).
- 5. <u>Benefits of D Remit</u>: Same Day Investment/NAV, Facility of setting up periodical auto debit viz monthly, quarterly, half yearly etc, Option for one time or regular contribution, Ease of modifying the amount/periodicity auto debit, enable/pause Auto debit as per convenience, Optimizing the investment benefit though Standing Instructions and rupee cost averaging, long term retirement wealth creation etc.

A detailed process flow in this regard is attached in the Annexure for ready reference and information of stake holders.

6. The circular is issued under Section 14 of PFRDA Act 2013 and is made available in PFRDA website (www.pfrda.org.in) under regulatory framework in the Circular section.

Process Flow: Creation of Virtual Account Number & Remittance through UPI Handle

1. Visit the eNPS website on CRA System

Protean CRA: https://cra-nsdl.com/CRAOnline/VirtualIdCreation.html

Kfintech CRA: https://nps.kfintech.com/dremit/prelogindremit/



2. Provide details to verify PRAN



3. Submit OTP received on Mobile Number / email id



4. Select Account-Tier I or II for which Virtual Account is to be created



5. Read and give your Consent: I hereby declare that the contribution paid by me has been derived from my legally declared and assessed sources of income. I understand that NPS trust has the right to peruse my financial profile or share the information with other government authorities. I further agree that NPS trust has the right to close my PRAN in case I am found violating the provision of any law relating to prevention of money laundering.



6. Click on *'Generate Virtual Account'*, request is forwarded to Trustee Bank, and an Acknowledgement Number is displayed. Separate number is generated for each Tier type.



7. In the UPI handle, enter the 15-digit Virtual Account No. in the format, 'PFRDA.15digitVirtualAccount@axisbank' for remitting the funds to PRAN



8. Same day NAV if funds received on T-day till 9:30AM on any working day. Contributions received post 9:30AM will be invested on the next working day.





परिपत्र

परिपत्र सं. : PFRDA/2022/20/SUP-TB/1 11th अगस्त, 2022

प्रति,

सभी एनपीएस हितधारक

विषय: यूपीआई के माध्यम से सक्षम डी-रेमिट के तहत स्वैच्छिक अंशदान

हमारे परिपत्र सं. पीएफआरडीए/2020/44/एसयूपी-सीआरए/17 दिनांक 01.10.2020 और परिपत्र सं. पीएफआरडीए/2021/6/एसयूपी-सीआरए/5 दिनांक 10.03.2021, जिनके द्वारा 'डी-रेमिट'और 'डी-रेमिट के तहत अंशदान के आईएमपीएस मोड को सक्षम करने' की विशेषताएं लागू की गयी थीं, उसी क्रम में अभिदाताओं के लाभ के लिए डी-रेमिट के जरिए अंशदान जमा करने के लिए यूपीआई हैंडल की शुरुआत करते हुए पीएफआरडीए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है।

- 1. <u>PFRDA.15digitVirtualAccount@axisbank</u>: वर्तमान में अभिदाता, आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस का उपयोग करके अपने नेट बैंकिंग खाते से डी-रेमिट के तहत अपने स्वैच्छिक अंशदान को टियर |/|| में जमा करते हैं। अब, यूपीआई के माध्यम से अंशदान को सक्षम किया जाना अंशदान जमा करने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए हैं। डी-रेमिट के लिए यूपीआई हैंडल है <u>PFRDA.15digitVirtualAccount@axisbank</u> यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डी-रेमिट वर्चुअल खाता संबद्ध स्थायी खाता संख्या (PRAN) से अलग है और यह 6001 या 6002 से शुरू होता है। टियर I और II के लिए डी-रेमिट वर्चुअल खाता संख्या भी अलग है।
- 2. <u>उसी दिन निवेश</u>: डी-रेमिट के तहत, ट्रस्टी बैंक (टीबी) द्वारा 09:30 पूर्वाहन से पहले प्राप्त अंशदान को उसी दिन निवेश के लिए माना जाएगा। पूर्वाहन 09:30 बजे के बाद प्राप्त अंशदानों को दिशा-निर्देशों के अनुसार अगले निवेश दिवस पर निवेश के लिए माना जाएगा।
- 3. एनपीसीआई मानदंडों के अनुसार अभिदाता के स्रोत बैंक खाते में यूपीआई अंशदानों की वापसी:
 - A. चूंकि डी-रेमिट के तहत अंशदान का न्यूनतम मूल्य 500/- रुपये के बराबर या उससे अधिक है, अतः वे यूपीआई आधारित अंशदान जो 500/- रुपये से कम हैं, टीबी द्वारा वापस कर दिए जाएंगे।
 - B. PRAN के लिए प्राप्त अंशदान जो फ्रोजन / निष्क्रिय हैं, टीबी द्वारा संबंधित केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) से पृष्टि प्राप्त होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे।

- 4. <u>डी-रेमिट के लाभ</u> : उसी दिन निवेश/एनएवी, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आदि आधारों पर आवधिक ऑटो डेबिट स्थापित करने की सुविधा, एक बार या नियमित अंशदान का विकल्प, राशि / आवधिक ऑटो डेबिट को संशोधित करने में आसानी, सुविधा के अनुसार ऑटो डेबिट को सक्षम करना / रोकना, एसआई (SI) और रुपये का मूल्य औसत होने के बावजूद निवेश लाभ का अनुकूलन, दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति धन सृजन आदि । इस संबंध में एक विस्तृत प्रक्रिया प्रवाह, तत्काल संदर्भ और हितधारकों की जानकारी के लिए संलग्नक में दिया गया है।
- 5. यह परिपत्र पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत जारी किया गया है और पीएफआरडीए की वेबसाइट (www.pfrda.org.in) पर नियामक ढांचे के तहत परिपत्र खंड में उपलब्ध कराया गया है।

(के. मोहन गाँधी) मुख्य महाप्रबन्धक

प्रक्रिया प्रवाह: वर्चुअल खाता संख्या का निर्माण और यूपीआई हैंडल के माध्यम से प्रेषण

1. सीआरए प्रणाली पर ईएनपीएस वेबसाइट पर जाएं

प्रोटियन सीआरए: https://cra-nsdl.com/CRAOnline/VirtualIdCreation.html

केफिनटेक सीआरए: https://nps.kfintech.com/dremit/prelogindremit/



2. PRAN को सत्यापित करने के लिए विवरण प्रदान करें



3. मोबाइल नंबर / ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी जमा करें



4. खाता-टियर | या || का चयन करें जिसके लिए वर्चुअल खाता बनाया जाना है



5. **पढ़ें और अपनी सहमित दें** : मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा भुगतान किया गया अंशदान मेरी कानूनी रूप से घोषित और निर्धारित आय के स्रोतों से लिया गया है। मैं समझता/समझती हूं कि एनपीएस ट्रस्ट को मेरी वित्तीय प्रोफ़ाइल देखने या अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करने का अधिकार है। मैं सहमत हूं कि एनपीएस ट्रस्ट के पास मेरे PRAN को बंद करने का अधिकार है यदि मैं मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से संबंधित किसी कानून के प्रावधान का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता हूं।



6. 'जनरेट वर्चुअल अकाउंट'पर क्लिक करें, ट्रस्टी बैंक को अनुरोध अग्रेषित किया जाता है, और एक पावती संख्या प्रदर्शित होती है। प्रत्येक टियर प्रकार के लिए अलग संख्या उत्पन्न की जाती है।



7. PRAN को धनराशि भेजने के लिए यूपीआई हैंडल में, 15 अंकों का वर्चुअल खाता संख्या इस प्रारूप में दर्ज करें,

PFRDA.15digitVirtualAccount@axisbank



8. यदि किसी कार्य दिवस पर टी-डे पर सुबह 9:30 बजे तक धन प्राप्त होता है तो उसी दिन एनएवी। सुबह 9:30 बजे के बाद प्राप्त अंशदान को अगले कार्य दिवस पर निवेश किया जाएगा।